

प्रेषक,

धनन्जय शुक्ल,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
पेंशन निदेशालय,  
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

**नियुक्ति अनुभाग-2**

**लखनऊ: दिनांक: 03 जनवरी, 2018**

विषय:- श्री राजेन्द्र सिंह-तृतीय, पी0सी0एस0-2006 के पेंशन, राशिकरण, उपादान प्रपत्रों का प्रेषण।

महोदय,

श्री राजेन्द्र सिंह-तृतीय, पी0सी0एस0, जो अपनी अधिवर्षता आयु के उपरान्त दिनांक 31-12-2017 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, से प्राप्त पेंशन, राशिकरण प्रपत्रों की दो प्रतियाँ संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राजेन्द्र सिंह-तृतीय के पक्ष में कोई देयता अवशेष नहीं है। अतः इनका पेंशन, राशिकरण, उपादान प्राधिकार पत्र निर्गत करते हुए उसकी सूचना शासन को यथासमय उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

**संलग्नक:-यथोक्त ।**

भवदीय,

(धनन्जय शुक्ल)  
संयुक्त सचिव।

**संख्या एवं दिनांक यथोक्त।**

प्रतिलिपि श्री राजेन्द्र सिंह-तृतीय, से0नि0 पी0सी0एस0 पता-ग्राम-खान तारा, पो0- भानपुर रानी, जिला-सिद्धार्थनगर (यू0पी0) को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(राजेश प्रताप सिंह)  
उप सचिव।

प्रेषक,

धनन्जय शुक्ल,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,  
इरला चेक (वेतन पर्ची अनुभाग),  
उत्तर प्रदेश शासन।

**नियुक्ति अनुभाग-2**

**लखनऊ: दिनांक: 03 जनवरी, 2018**

विषय:- श्री राजेन्द्र सिंह-तृतीय, पी0सी0एस0-2006 को देय अर्जित अवकाश के नकदीकरण की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राजेन्द्र सिंह-तृतीय, पी0सी0एस0, जो अपनी अधिवर्षता आयु के उपरान्त दिनांक 31-12-2017 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, को वित्त सामान्य अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-393/दस-99-2000-88 दिनांक 01-07-99 में निहित प्रतिबन्धों के अधीन सेवानिवृत्ति की तिथि तक देय अवकाश के नकदीकरण की स्वीकृति, जो 300 दिन से अधिक न हो, प्रदान की जाती है।

**भवदीय,**

**(धनन्जय शुक्ल)**

**संयुक्त सचिव।**

**संख्या एवं दिनांक यथोक्त।**

प्रतिलिपि श्री राजेन्द्र सिंह-तृतीय, से0नि0 पी0सी0एस0 पता-ग्राम-खान तारा, पो0- भानपुर रानी, जिला-सिद्धार्थनगर (यू0पी0) को सूचनार्थ प्रेषित।

**आज्ञा से,**

**(राजेश प्रताप सिंह)**

**उप सचिव।**

प्रेषक,

धनन्जय शुक्ल,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,  
इरला चेक (वेतन पर्ची अनुभाग),  
उत्तर प्रदेश शासन।

**नियुक्ति अनुभाग-2**

**लखनऊ:**

**दिनांक: 03 जनवरी, 2018**

विषय:- श्री राजेन्द्र सिंह-तृतीय, पी0सी0एस0-1997 के जी0आई0एस0 प्रपत्रों का प्रेषण।

महोदय,

श्री राजेन्द्र सिंह-तृतीय, पी0सी0एस0, जो अधिवर्षता आयु के उपरान्त दिनांक 31-12-2017 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, से प्राप्त जी0आई0एस0 प्रपत्रों की तीन प्रतियाँ मूलरूप में संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मामले में आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

**संलग्नक-यथोक्त।**

भवदीय,

(धनन्जय शुक्ल)

संयुक्त सचिव।

**संख्या एवं दिनांक यथोक्त।**

प्रतिलिपि श्री राजेन्द्र सिंह-तृतीय, से0नि0 पी0सी0एस0 पता-ग्राम-खान तारा, पो0- भानपुर रानी, जिला-सिद्धार्थनगर (यू0पी0) को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(राजेश प्रताप सिंह)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।